

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

15-03
18

पतावली के माध्यम से वकील वादी एन.ए.पी.वादी
की छान-छान कानून के माध्यम से जमानत
को भी पकड़ने उपलब्ध हुआ करता पतावली
वकील वादी स्व.प्राणी वादी की छान-छान
कदम धरनी नवारीज की जाती है

पतावली के लिये शुभक वीर
नम्बर के कदम की माध्यम से जमानत

अपेक्षित अतिरिक्त
टोक (15/3)